प्रेषक

निदेशक शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा चण्डीगढ़ ।

सेवा में

(1) आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद, गुड़गांवा, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, पंचकूला ।

(2) कार्यकारी अधिकारी/सचिव, सभी नगरपरिषदें/नगरपालिकाएँ, हरियाणा ।

यादि क्रमांक: टी0ए0-2010/ 10761-834
दिनांक 21-6-10

विषय:- इम्पलीमेनटेशन आफ बाईलाज फार कन्ट्रौल आफ वैक्टर बूम डिसैसीज इन अर्बन एरिया ।

---00000000---

उपरोक्त विषय पर, इस निदेशालय के पत्र क्रमांक: टी0ए0-2009/40420-96 दिनांक 30.1.2009 के संदर्भ में ।

(2) इस सम्बंध में आपको शहरी क्षेत्रों अर्थात हरियाणा राज्य के नगर निगमों/नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं में निदेशक स्वास्थ्य (मलेरिया) सेवाएँ हरियाणा पंचकूला तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सांझे सहयोग से मलेरिया, डैंगू, जेई, चिकनगुनिया इत्यादि पर नियन्त्रण पाने केलिए सरकार के द्वारा नगरपालिका के अधिनियम 1973 की धारा 200 तथा 214 में मोडिफिकेशन करके जो संशोधित अधिसूचना संख्या का0आ0 70/ह0अ0 214/1973/धा0 200, 214 तथा 216/2009, दि0 31.7.2009 को जारी की गई थी, उसके अनुसरण में अब आपको हरियाणा राज्य राजकीय प्रेस से मुद्रित अन्तिम अधिसूचना संख्या का0आ0 71/ह0अ0 24/1973/धा0 तथा 214/2010 दिनांक 24 मई 2010 की एक प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) दोनों भाषाओं में संलग्न भेजकर अनुरोध किया जाता है कि कृपया इस अधिसूचना के अन्तर्गत यथोक्त मामले में तदानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न: यथोक्त अधिसूचना प्रति

कार्यकारी अभियन्ता,
कृते: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय
हरियाणा चण्डीगढ़ ।

पृष्ठांकन क्रमांक टी0ए0-2010/ 10835 दिनांक 21-6-10

इसकी एक प्रति अधिसूचना की प्रति सहित महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ-कम-परियोजना निदेशक आरसीएच-II (एआईडीएस सैक्टर-6 पंचकूला

तथा

एक प्रति अधिसूचना की प्रति सहित महा निदेशाल स्वास्थ्य सेवाएँ (मलेरिया) हरियाणा सैक्टर-10 पंचकूला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

कार्यकारी अभियन्ता,
कृते: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय
हरियाणा चण्डीगढ़ ।

(मलिक)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 मई, 2010

संख्या का० आ० 71/ह० अ० 24/1973/धा० 200 तथा 214/2010.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 214 के साथ पठित धारा 200 के खण्ड (ड) के उप खण्ड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचन संख्या का०आ०70/ह० अ० 214/1973/धा० 200, 214 तथा 216/2009, दिनांक 31 जुलाई, 2009 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरपालिका (कीट वाहित रोग नियन्त्रण) उप-विधियां, 2010 बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार।

1. (1) ये उप-विधियां हरियाणा नगरपालिका (कीट वाहित रोग नियंत्रण) उप-विधियां, 2010, कही जा सकती हैं।

(2) ये हरियाणा राज्य में सभी नगरपालिकाओं को लागू होंगी।

परिभाषा।

2. (1) इन उप-विधियों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24);

(ख) "मुख्य सफाई निरीक्षक" से अभिप्राय है, नगरपालिका समिति का मुख्य सफाई निरीक्षक ;

(ग) "उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)" से अभिप्राय है, स्वास्थ्य विभाग का उप-सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज);

(घ) "कार्यकारी अधिकारी" से अभिप्राय है, नगर परिषद् का कार्यकारी अधिकारी/ नगरपालिका समिति का सचिव ;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो, हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सामान्य खण्ड अधिनियम, 1898 (1898 का 1) में दिया गया है;

(च) "व्यक्ति" में शामिल होगा, व्यक्तियों का कोई निकाय चाहे निगमित हो अथवा नहीं ;

(छ) "परिसर" में शामिल होगा, किसी धृति का भवन, भूमि, फरमेदार तथा दायाप्ति के दुरुपयोग;

(ज) "शहरी मलेरिया योजना" से अभिप्राय है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जाने वाली शहरी मलेरिया स्कीम।

(2) इन उप-विधियों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम।

3. (1) कोई भी व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकरण,—

(क) ऐसे क्षेत्र में खड़े तथा बहते पानी को नहीं रोकेगा अथवा न ही उसे बनाए रखेगा; जिसमें मच्छर पैदा हों अथवा उनके पैदा होने की सम्भावना हो; अथवा

(ख) ऐसे किसी क्षेत्र में ऐसे पानी को जिसमें मच्छर पैदा होते हों, अथवा उनके पैदा होने की सम्भावना हो तब तक इकट्ठा नहीं करेगा, जब तक कि पानी के ऐसे संग्रहण को ऐसे प्रभावशाली ढंग से उपचार नहीं किया जाता जिससे यह मच्छरों के पैदा होने को रोक सके।

(2) किसी खड़े अथवा बहते पानी में मच्छरों के लारवां की स्वाभाविक उपस्थिति इस बात का पर्याप्त प्रमाण होगा कि ऐसे पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं।

मच्छर प्रजनन की रोकथाम के लिए स्वामी अथवा अधिभोगी को नोटिस।

4. (1) उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, लिखित नोटिस द्वारा, किसी स्थान, जहां खड़ा अथवा बहता पानी हो, जिसमें मच्छर पैदा होते हों ; अथवा पैदा होने की सम्भावना हो, स्वामी अथवा अधिभोगी से, नोटिस में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर (जो 24 घण्टे से कम नहीं होगा), उपाय करने अथवा ऐसे भौतिक, रसायन अथवा जीव-विज्ञान सम्बन्धी ढंग अपनाने की, जैसा कि उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, ठीक समझे, अपेक्षा करेगा।

(2) यदि खण्ड (1) के अधीन अधिभोगी को कोई नोटिस तामिल किया जाता है, तो वह स्पष्ट या उपलक्षित संविदा की अनुपस्थिति में, उपचार का उपाय करने या उपचार का ढंग अपनाते हुए उन द्वारा उपगत उपयुक्त खर्च स्वामी से, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय में वसूल कर सकता है तथा ऐसे खर्चों की राशि किराए में से काट सकता है जो उस समय या जो उसके बाद स्वामी को उससे देय हो।

उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक के कर्त्तव्य।

5. यदि किसी स्वामी अथवा अधिभोगी, जिसे उप-विधि-4 के अधीन नोटिस तामिल किया जाता है कि ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपायों को, अथवा उसमें विनिर्दिष्ट उपचार प्रक्रिया के ढंग को अपनाने में असफल रहता है अथवा इन्कार करता है, तो उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, स्वयं ऐसे उपाय कर सकता है अथवा उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपचारों के ढंग को अपना सकता है, और ऐसा करने की लागत, किसी ऐसे स्थान के स्वामी अथवा अधिभोगी से, जैसी भी स्थिति हो, उसी रीति में, जो अधिनियम की धारा 98 में विनिर्दिष्ट है, वसूल कर सकता है।

6. जहां कहीं किसी भी भूमि अथवा भवन में मच्छरों को पैदा होने से रोकने के उद्देश्य से सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के आग्रह पर सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अधिभोगी ने ऐसी भूमि या निर्माण पर कोई संकर्म निष्पादित किया है, वहां ऐसी भूमि या भवन का स्वामी तथा अधिभोगी उसे ऐसी रीति में उपयोग में लाने से रोकेगा जिससे ऐसे संकर्मों का ह्रास होता हो या उनके होस होने की संभावना है या जिसके कारण ऐसे संकर्मों की कार्यक्षमता में बाधा पड़ती हो या बाधा पड़ने की संभावना है। मच्छर विरोधी कार्य का संरक्षण।

7. (1) कोई भी व्यक्ति मच्छरों को पैदा होने से रोकने के उद्देश्य से उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, के आदेश द्वारा उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, की सहमति के बिना किसी भी भूमि अथवा भवन मे, उसके अधीन या उस पर निष्पादित कार्य में, या वहां पर पड़ी सामग्री या वस्तु में न ही हस्तक्षेप करेगा, न ही उसे क्षति पहुंचायेगा, या न ही उसे बेकार करेगा। ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप का निषेध।

(2) यदि खण्ड (1) के उपबन्धों की किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघना की जाती है तो उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/ मुख्य सफाई निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, कार्य को पुनः निष्पादित कर सकता है अथवा सामग्री या वस्तु, जैसी भी स्थिति हो, को बदल सकता है और ऐसा करने की लागत ऐसे व्यक्ति से उसी रीति में जो अधिनियम की धारा 98 में उपबन्धित है, वसूल की जायेगी।

8. किसी मकान, भवन, शैड अथवा भूमि का स्वामी या अधिभोगी उसमें कोई बोतल, बर्तन, केन या कोई अन्य टूटा-फूटा अथवा बिना टूटा डिब्बा इस ढंग से नहीं रखेगा, जिसमें ऐसा पानी इकट्ठा होने और खड़े रहने की सम्भावना हो जो मच्छर पैदा होने का कारण बने। आवासीय केनज तथा अन्य मदों का रख-रखाव।

9. सड़कों, रेलवे तटबन्धों इत्यादि के निर्माण तथा मरम्मत सम्बन्धी जरूरत के लिए खोदे जाने वाले सभी गढ्ढों (बोरोपिट्स) को इस प्रकार काटा जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें पानी खड़ा नहीं रहेगा। जहां सम्भव तथा व्यवहार्य होगा। गढ्ढों (बोरोपिट्स) साफ-सुथरे और खुले रखे जायेंगे और पानी एक गढ्ढे से दूसरे गढ्ढे के साथ लगी नाली द्वारा वहां तक निकाला जाएगा जहां तक कि वह निकटस्थ प्राकृतिक जल निकास नाले से नहीं मिल जाता। कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी अलग गढ्ढों (बोरोपिट्स) का निर्माण नहीं करेगा, जिसमें पानी इकट्ठा होने की संभावना हो और जो मच्छर पैदा होने का कारण बने। बोरोपिट्स की स्वच्छता।

10. उप सिविल सर्जन (वेक्टर बोर्न डिजिज)/मुख्य सफाई निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, सभी उपयुक्त समयों पर लिखित रूप में ऐसे नोटिस, जो उसे उचित प्रतीत हों, देने के बाद ऐसे किसी भूमि अथवा भवन में जो उसकी अधिकारिता में है, प्रवेश कर सकता है अथवा उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसी भूमि का अधिभोगी अथवा स्वामी जैसी भी स्थिति हो, उसे प्रवेश और निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जुटायेगा और उस द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी सभी सूचनाएं देगा। परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति।

विवाद का निपटारा।

11. यदि इन उप-विधियों के किसी उपबन्ध के निष्पादन में ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता है, जिसमें भारत सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार की अधिकारिता है, तो मामला परस्पर सहमति से नियुक्त किए गए एक मात्र मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

12. हरियाणा नगरपालिका मलेरिया नियंत्रण उप-विधियां, 1991, इसके द्वारा, निरसित की जाती है :

परन्तु इस प्रकार निरसित उप-विधियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इन उप-विधियों के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

राज कुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 24th May, 2010

No. S. O. 71/H. A. 24/1973/S. 200 and 214/2010.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (viii) of clasue (e) of Sections 200 read with section 214 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. S. O. 70/H. A. 24/1973/Ss. 200, 214 and 216/2009, dated the 31st July, 2009 the Governor of Haryana hereby makes the Haryana Municipal (Control on Vector Borne Diseases) Bye-Laws, 2010; namely :—

Short Title and extent.

1. (1) These bye-laws may be called the Haryana Municipal (Control on Vector Born Diseases) Bye-Laws, 2010.

(2) They shall apply to all the municipalities in the State of Haryana.

Definitions.

2. (1) In these bye-laws unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973);

(b) "Chief Sanitary Inspector" means the Chief Sanitary Inspector of Municipal Committee;

(c) "Deputy Civil Surgeon (Vector Born Diseases)" means the Deputy Civil Surgeon (Vector Borne Diseases) of Health Department;

(d) "Executive Officer" means the Executive Officer of the Municipal Council/Secretary of a Municipal Committee;

(e) "local authority" shall have the same meaning as assigned in the Punjab General Clauses Act, 1898 (1 of 1898), as applicable to the State of Haryana.

(f) "person" shall include any body of persons whether corporate or not;

(g) "Premises" shall include misusages of building, lands, casements and hereditaments of any tenure;

(h) "urban malaria scheme" means urban malaria scheme run by Health Department.

(2) Words and expression used in these bye-laws but not defined herein shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

Prevention of mosquito breeding.

3. (1) No person or local authority shall,—

(a) keep or maintain within such area any water whether standing or flowing in which mosquitoes breed or are likely to breed; or

(b) cause or permit, within such area to form a collection of water in which mosquitoes breed or are likely to breed, unless such collection has been so treated as effectively to prevent such breeding.

(2) The natural presence of mosquito larvae in any standing or flowing water shall be the sufficient proof that the mosquitoes are breeding in such water.

Notice to owner or occupier to prevent mosquito breeding.

4. (1) The **Deputy Civil Surgeon (Vector Born Diseases)/ Chief Sanitary Inspector,** as the case may be, may by notice in writing, require the owner or the occupier of any place containing any standing or flowing water in which mosquitoes breed or are likely to breed, within such time as may be specified in the notice, (not being less than 24 hours) to take such measures or to treat with such physical, chemical or biological methods, as the **Deputy Civil Surgeon (Vector Born Diseases)/ Chief Sanitary Inspector,** as the case may be, may consider suitable.

(2) If a notice under clause (1) is served on the occupier, he shall in the absence of a contract expressed or implied, to the contrary, be entitled to recover from the owner the reasonable expenses incurred by him in taking the measures or adopting the method of treatment, specified in the notice and may deduct the amount of such expenses from the rent which is then or which may thereafter be, due from him to the owner.

Duties of Deputy Civil Surgeon (VBD) and Chief Sanitary Inspector.

5. If the owner or occupier to whom a notice is served under bye-law 4 fails or refuses to take the measures, or adopt the method of treatment specified therein in such notice, within the time specified therein, the **Deputy Civil Surgeon (VBD)/ Chief Sanitary Inspector,** as the case may be, may himself take such measures or adopt the method of treatment within the time specified therein and recover the cost of doing so from the owner or occupier of any such place, as the case may be, in the same manner as specified in Section 98 of the Act.

Protection of antimosquitoes works.

6. Where with the object of preventing the breeding of mosquitoes in any land or building, the Government or any local authorities or occupier at the

instance of the Government or local authority, have executed any works in such land or building, the owner as well as the occupier of such land or building shall prevent its being used in any manner which causes or is likely to cause the deterioration of such works, or which impairs, or is likely to impair the efficiency of such works.

Prohibition of interference with such work.

7. (1) No person shall, without the consent of the **Deputy Civil Surgeon (Vector Born Diseases) /Chief Sanitary Inspector,** as the case may be, interfere with, injure, destroy, or render useless any work executed or any material or thing placed in, under or upon any land or building, by the orders of the **Deputy Civil Surgeon (Vector Born Diseases)/ Chief Sanitary Inspector,** as the case may be, with the object of preventing the breeding of mosquitoes therein.

(2) If the provisions of clause (1) are contravened by any person, the **Deputy Civil Surgeon (Vector Born Diseases)/Chief Sanitary Inspector**, as the case may be, may reexecute the work or replace the materials or things, as the case may be, and the cost of doing so shall be recovered from such person in the same manner as is provided in Section 98 of the Act.

Keeping of household canes and other containers.

8. The owner or occupier of any house, building, shed or land shall not keep any bottle, vessel, canes or any other container, broken or unbroken, in such manner that is likely to collect and retain water causing the breeding of mosquitoes.

Cleanliness of borrow pits.

9. All borrow pits required to be dug in the course of construction and repair of roads, railways embankments etc., shall be so cut as to ensure that water does not remain stagnate therein. Where possible and practicable the burrow pits shall be left clean, free and, that water will drawn off by drainage channels connecting one pit with the other till the nearest natural drainage nullah is met with. No person shall create any isolated borrow pits which is likely to cause accumulation of water causing the breeding of mosquitoes.

Power to enter and inspect premises.

10. The **Deputy Civil Surgeon (Vector Born Diseases)/Chief Sanitary Inspector,** as the case may be, may at all reasonable times, after giving such notice in writing as may appear to him reasonable, enter and inspect any land or building within his jurisdiction and the occupier or the owner, as the case may be, of such land or building shall provide all facilities necessary for such entry and inspection and supply all such information as may be required by him.

Settlement of disputes.

11. In case of any dispute in the execution of any provision of these bye-laws arises in which, the jurisdiction of the Government of India or Government of any other State is involved, the matter shall be referred to the sole arbitrator appointed with the mutual consent whose decision shall be final.

Repeal and saving.

12. The Haryana Municipal Control on Malaria Bye-laws, 1991 is hereby repealed :

Provided that anything done or action taken under the bye-laws so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these bye-laws.

RAJ KUMAR,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

47107—C.S.—H.G.P., Chd.